क्रम-संख्या—53(छ)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी० 41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 31 जनवरी, 2004

माघ 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग—1

संख्या 27/33-1-2004-57-81टी०सी०

लखनऊ, 31 जनवरी, 2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०—77

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग में सरकार के सचिव और उपनिदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के पद के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(झ) "सेवा का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा से है ;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है।

क्रम-सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	--	01	01	उपनिदेशक (पंचायत) के सात अस्थायी पद (डेपुटेशन रिजर्व) कार्यालय ज्ञाप संख्या 1025/33-1-2003-57-81 टी०सी०-1, दिनांक 22 मार्च, 2003 से सृजित किये गये।
2	(क) उपनिदेशक (पंचायत)	06	10	16	
	(ख) उपनिदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिजर्व)	--	07	07	
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	48	23	71	

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें यह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) संयुक्त निदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त उपनिदेशकों (पंचायत), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(2) उपनिदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी–

(एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) पैंतालिस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह-शिक्षा) और पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8—जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक में उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हतायें

9—अन्य बातों से समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:—

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10—जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह किसी चिकित्सा परिषद द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उसको सूचित की जायेंगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियो का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम पर इतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक भी बराबर हो तो अभ्यर्थियों के नाम आयोग के सामान्य नीति के अनुसार रखे जायेंगे। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–सेवा में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार किया जायेगा।

चयन समिति के माध्यम से उपनिदेशक (पंचायत) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17–(1) सेवा में उपनिदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी:–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ग में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय,

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने-जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश के सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22—सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

23–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिए गए हैं :–

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	जिला पंचायत राज अधिकारी	6500–200–10500 रु०
2	उपनिदेशक (पंचायत)	10000–325–15200 रु०
3	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	12000–375–16500 रु०

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ;

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

सगीर अंसारी,

अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 27/XXXIII-1-04-57/81(TC) January 31, 2004:

No. 27/XXXIII-1-2004-57/81 (TC)
Dated Lucknow, January 31, 2004

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Service.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT (GROUP 'A' AND 'B') SERVICE RULES, 2004

PART–I—GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Service Rules, 2004.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Service is a State Service comprising Group 'A' and Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' in respect of the post of District Panchayat Raj Officer means the Secretary to the Government in the, Panchayat Raj Department and in respect of the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat) means the Governor;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(h) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(i) 'service' means the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') service;

(j) 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II–CADRE

Cadre of the service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), be as given below:

Serial no.	Name of Post	Number of Posts			
		Permanent	Temporary	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Joint Director (Panchayat)	–	1	1	
2 *(a)*	Deputy Director (Panchayat)	6	10	16	
(b)	Deputy Director (Panchayat) (Deputation Reserve)	–	07	07	Seven temporary posts of Deputy Director (Panchayat) (Deputation Reserve) have been created vide O.M. No. 1025/33-1-2003-57/81, T.C.I., Dated April 22, 2003.
3	District Panchayat Raj Officer	48	23	71	

Provided that :—

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART-III–RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources—

(1) **Joint Director (Panchayat)**—By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors (Panchayats) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) **Deputy Director (Panchayat)**—By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed District Panchayat Raj Officers who have completed seven years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(3) **District Panchayat Raj Officer**—

(i) Fifty percent by direct recruitment through the competitive examination conducted by the Commission.

(ii) Fourty-five per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Education) and Panchayat Inspectors (Industries) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(iii) Five per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :—

(a) citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category *(b)* or *(c)* above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category *(b)* will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category *(c)* above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of District Panchayat Raj Officer must possess a bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

Preferential qualification

9. A candidate who has :

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of District Panchayat Raj Officer must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE.—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall not be ligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be not eligible.

Martial status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V–PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the proforma published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the names of the candidates shall be arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion through the commission to the post of District Panchayat Raj Officer

16. Recruitment by promotion to the post of District Panchayat Raj Officer in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee to the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat)

17. (1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat) in the service shall be made on the basis of the criterion laiddown in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE: Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare elegibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the Purview of the Public Serivce Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining of them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Combined select list

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 18.

Probation

20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date unto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if–

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(b) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to the order of confirmation.

Seniority

22. The Seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII–PAY ETC.

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows—

Name of the post	Scale of pay
1. District Panchayat Raj Officer	Rs. 6,500-200-10,500
2. Deputy Director (Panchayat)	Rs. 10,000-325-15,200
3. Joint Director (Panchayat)	Rs. 12,000-375-16,500

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the Contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

PART VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules, applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

ANIS ANSARI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 946 राजपत्र (हिन्दी)–(2249)–2004–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 1 सा० पंचायती राज–(2250)–2250–530–(कम्प्यूटर / आफसेट)।